भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 326
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि निवेश पोर्टल

***326. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः**
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने निजी कृषि-औद्योगिक निवेश के संबंध में स्वचालित ढंग से कार्रवाई के लिए एकल-खिड़की कृषि निवेश पोर्टल कार्यान्वित किया है;
(ख) यदि हां, तो बहु-केन्द्रीय राजसहायता के लिए उद्योगों की पात्रता के सत्यापन को सुकर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वचालित ट्रैकिंग मॉड्यूलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) खाद्य प्रसंस्करण भांडागारों की स्थापना के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के दोहराव की स्थिति को रोकने और स्थानीय स्तर पर शीघ्र स्वीकृति के लिए की गई ढांचागत जांच व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;
(घ) चिह्नित आकांक्षी ब्लॉकों और जनजातीय क्षेत्रों में योजनाबद्ध अवसंरचना विकास के लिए परियोजनाओं हेतु प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;
(ङ) निवेशकों की वित्तीय क्षमता संबंधी दस्तावेजों के विधिमान्यकरण हेतु केन्द्रीय बैंकिंग और कर संबंधी अभिलेखों के साथ सक्रिय रूप से उन दस्तावेजों को पुनः सत्यापित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(च) इन ई-गवर्नेंस व्यवस्थाओं को किए जाने के बाद ग्रामीण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता में आने वाली अनुमानित तेजी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि निवेश पोर्टल" के संदर्भ में लोक सभा में 28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 326 के भाग (क) से (च) के संबंध में उललिखित विवरण।

(क) से (ङ) जी हाँ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक डिजिटल सूचना मंच के रूप में कृषि निवेश पोर्टल विकसित किया है जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित पात्र केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं, प्रोत्साहनों और नीतियों के माध्यम से निवेश के अवसरों की जानकारी के संग्रह के रूप में कार्य करना है। यह योजनावार जानकारी, पात्रता शर्तें, कार्यान्वयन एजेंसियां, प्रचालन दिशानिर्देश और संबंधित पोर्टलों के लिंक, जहाँ लागू हो प्रदान करता है, जिससे संभावित निवेशक सोच-समझकर निवेश संबंधी निर्णय ले सकें। वर्तमान में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों में निवेश से संबंधित 19 योजनाएं/कार्यक्रम कृषि निवेश पोर्टल पर उपलब्ध हैं। यह पोर्टल निवेश प्रस्तावों के प्रोसेसिंग या लाभार्थी/निवेशक की वित्तीय क्षमता या विभिन्न मंत्रालयों या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रशासित सब्सिडी या प्रोत्साहनों के लिए पात्रता के सत्यापन को स्वचालित नहीं करता है।

विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों से संबंधित मूल्यांकन, सत्यापन, मंजूरी और अनुमोदन संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रयोज्य योजना दिशानिर्देशों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं। किसी भी भौगोलिक प्राथमिकता या अधिमानी व्यवहार को संबंधित योजना के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(च) ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण हेतु निजी क्षेत्र की पूंजीगत व्यय संबंधी प्रतिबद्धता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, वित्तीय उपलब्धता, विनियामक ढांचा, तकनीकी/डिजिटल कनेक्टिविटी, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू, बाजार क्षमता जोखिम संबंधी धारणाएं शामिल हैं। तथापि, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यापक निवेश में सहायता करती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) पात्र ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से फार्म गेट में फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर और वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं जैसी व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मध्यम और दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना 9% तक की अधिकतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, जिसमें 3% ब्याज अनुदान और 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी शामिल है। दिनांक 15.07.2026 तक, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत कुल 2,08,828 एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें 93,374.35 करोड़ रुपये का ऋण और 161,537.22 करोड़ रुपये का निवेश मोबिलाइजेशन है। स्वीकृत परियोजनाओं में 31,164 प्रसंस्करण केंद्र, 18810 वेयरहाउस, 190 साइलो, 4,547 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयाँ, 3075 कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन, साथ ही अन्य लॉजिस्टिक्स वाहन, पैक हाउस और राइपनिंग चैंबर जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ शामिल हैं। एआईएफ ने ग्रामीण भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, फसलोपरांत हानि को कम किया है, खाद्य सुरक्षा में सुधार किया है और फार्म गेट के आसपास ही कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण को सुगम बनाया है जिससे मजबूरी में की जाने वाली बिक्री में कमी आई है और बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) और ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी उप योजनाओं के माध्यम से बाजार संबंधी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से कृषि उपज विपणन के संचालन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के अंतर्गत, देश भर में फसलोपरांत मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें आधुनिक वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इस योजना के तहत, पात्र परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों, महिला/अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के प्रमोटरों, पीएसीएस एवं एफपीओ आदि को 33.33% और अन्य को 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल है जो वास्तविक कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को वर्चुअल रूप से एकीकृत करता है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को पारदर्शी ऑनलाइन बोली, बेहतर मूल्य प्राप्ति और बिक्री की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने के माध्यम से खरीदारों के एक बड़े समूह तक पहुंच प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म देश भर के खरीदारों को ऑनलाइन बोली में भाग लेने में सक्षम बनाकर अंतर-राज्यीय व्यापार को भी सुगम बनाता है। वर्ष 2014-15 से और दिनांक 10.07.2026 तक, 504.44 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले कुल 16814 गोदामों को सहायता प्रदान की गई है और 3488.37 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 9884 मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (भंडारण के अलावा) को सहायता प्रदान की गई है और 1147.51 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। 30 जून 2026 तक, ई-नाम पर 1.89 करोड़ किसान और 2.78 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य, फल, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, नारियल, काजू और कोको सहित बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और उपज की बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए मार्केटिंग प्रणालियों के सृजन हेतु सहायता की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक, 1,009 नर्सरी, 1.65 लाख फसलोपरांत प्रबंधन इकाइयां, 22,226 मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट और 8.50 मिलियन टन क्षमता वाले 1,949 कोल्ड स्टोरेज शुरू किए गए हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी मूल्य श्रृंखला में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी योजनाएं लागू करता है, जिसमें उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन और बागवानी उत्पादों का वैज्ञानिक भंडारण शामिल है। संरक्षित खेती, पैक हाउस, ग्रेडिंग और पैकिंग इकाइयां, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, राइपनिंग चैंबर और रीफर वाहन जैसी वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाएं शुरू करने के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% से 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण और प्याज भंडारण शुरू करने और आधुनिकीकरण के लिए भी पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसे पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इन उपायों से फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, फसलोपरांत हानि कम होती है, भंडारण और मार्केटिंग सुविधाएं बेहतर होती हैं और बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। वर्ष 2016-17 से, 5094.94 एकड़ को कवर करते हुए 933.46 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ कुल 3440 संरक्षित खेती परियोजनाएं, 51.13 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 303 फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और 47.55 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 354 प्राथमिक प्रसंस्करण

इकाइयां बनाई गई हैं। 834.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 32.75 एलएमटी की क्षमता वाले 539 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, बीज उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए सहायता प्रदान करके मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। यह मिशन तेल मिलों और निष्कर्षण (एक्सट्रेक्शन) इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 33% तक वित्तीय सहायता प्रदान करके तेल निष्कर्षण में निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई ₹9.90 लाख है, इससे कृषि आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, मिशन के तहत 400 तेल मिलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन प्रमुख योजनाओं के माध्यम से भारत की कृषि-मूल्य श्रृंखला में व्यापक परिवर्तन कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत, दिनांक 30.06.2026 तक मंत्रालय ने घटक योजनाओं के तहत 1735 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिसकी कुल परियोजना लागत 33163.34 करोड़ रूपये है और अनुमोदित अनुदान सब्सिडी 9258.60 करोड़ रूपये है। इस योजना के तहत देश की खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता वर्ष 2014 से पहले 10.64 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से छब्बीस गुना बढ़कर दिनांक 30.06.2026 तक 283.94 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गई है। योजना के तहत वर्ष 2020-21 में शुरू की गई प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना ने 20,400 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ स्वीकृत 2.0 लाख ऋण से फार्म गेट के निकट सूक्ष्म उद्यमों को सुदृढ़ किया है। 4.18 लाख से अधिक सदस्यों के लिए 1,438.28 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल स्वीकृत की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के तहत, दिनांक 30.06.2026 तक विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 163 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन प्रस्तावों में 7722 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश है।

पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास फंड (एएचआईडीएफ) पात्र उद्यमियों, एफपीओ, एमएसएमई, सहकारी समितियों और निजी कंपनियों के माध्यम से डेयरी और पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश में सहायता करके कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देता है, ताकि प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधाओं की स्थापना और आधुनिकीकरण किया जा सके। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ग्रामीण रोजगार सृजित करता है और मूल्यवर्धन तथा बेहतर मार्केट लिंकेज के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाता है। अब तक, एएचआईडीएफ के तहत 591 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹23,693.87 करोड़ है और सावधि ऋण ₹16,410.01 करोड़ है। इस योजना के तहत ₹678.11 करोड़ का ब्याज अनुदान जारी किया गया है।

मत्स्य पालन विभाग वर्ष 7522.48 करोड़ के परिव्यय से वर्ष 2018-19 से मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास फंड (एफआईडीएफ) को लागू कर रहा है, इसका उद्देश्य रियायती वित्तपोषण और ब्याज अनुदान के माध्यम से मत्स्य पालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है, ताकि उत्पादन, मूल्यवर्धन, मार्केट एक्सेस और रोजगार में वृद्धि हो सके। विभाग ने अब तक इस योजना के तहत कुल ₹6657.58 करोड़ की परियोजना लागत से 253 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें से, ₹4039.72 करोड़ के पात्र ऋणों से संबंधित परियोजनाओं को देश भर में विभिन्न निजी कंपनियों और उद्यमियों द्वारा स्थापित निर्यात प्रोत्साहन संबंधी मत्स्य पालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को सहायता देने के लिए ब्याज अनुदान के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) ने ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और आजीविका को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभाग देशभर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) कार्यान्वित कर रहा है। जुलाई 2026 से प्रभावी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीराम जी) के शुभारंभ के साथ, जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी परिसंपत्तियों और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के शमन में स्थायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे टिकाऊ इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पात्र संपर्करहित (अनकनेक्टेड) बस्तियां को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए विशेष कार्यकलाप है। सरकार ने सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई-IV का शुभारंभ किया, जो 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए है। इसका लक्ष्य जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली संपर्करहित (अनकनेक्टेड) बस्तियों को शामिल करना है। पीएमजीएसवाई के शुभारंभ से अब तक कुल 7,97,196 किलोमीटर सड़क से संबंधित कार्य (1,85,656 सड़कें और 10,421 पुल) पूर्ण हो चुकी है। एमजीएनआरईजीएस के तहत, वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक (30 जून 2026 तक) 907 लाख से अधिक परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन 17.6% था जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर 63.62% हो गया (30.06.2026 तक)।

समग्र रूप से, ये सभी पहलें ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देती हैं।
